

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश

A 563-III/08

अपील प्रकरण क्र 108



सरकार बहादुर सिंह तनय श्री लालनसिंह साठमर्वाँदपुर तहसील हनुमना
जिला रीवा म०प्र० ----- अपीलान्त

बनाम

शासन म०प्र० द्वारा स्वाम्य कलेक्टर रीवा --- रेखा 10

अपील विरुद्ध न्यायालय कमिश्नर रीवा
सम्भाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 149/अपील/
04/05 आदेशा दिनांक 13-6-05 के विरुद्ध

अपील अन्तर्गत द्वारा

मान्यतर,

अपीलार्थी निम्न लिखित अपील प्रस्तुत कर विनयी है कि:-
प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य:-

१। यह कि मौजा छटना पूर्व तहसील हनुमना की आराजी नं० 150
रकबा 675 एकड़ जो कि पूर्व में तहसील मऊजं के अन्तर्गत स्थित थी
अब वर्तमान समय में हनुमना तहसील के अन्तर्गत स्थित है। अपीलान्त
के पिता श्री लालन सिंह व चाचा गिरजा सिंह निवासी मर्वाँदपुर
तहसील हनुमना ने उपरोक्त आराजी के तत्कालीन भूमिस्वामी श्री
लल्ला बम्भोले सिंह बेजनाथ सिंह पिता गया सिंह रघुनाथ सिंह
पिता रनबहादुर सिंह, केशव सिंह पिता छगु सिंह निवासी छटना
छर्द से उपरोक्त आराजी 45/- रुपैयाँ लिस रुपये में सम्वत् 1995 मित


K.P. 611
13-5-08
20 mb

01/2/2008/08
13/5/08

कलेक्टर
रीवा म०प्र०

अपीलार्थी


क्रमांक 892
आज प्राप्त
मध्य प्रदेश मण्डल म.प्र. न्यायालय




A-563-III/08 भाग- 2

31/5/17

आवेदन सविबद्ध एवं आवेदन
उपस्थित नहीं है। एवं आवेदन
सविबद्ध के अनुपस्थित होने के कारण
अहम पत्रों में लाडिलिया को पत्राचार
अना. की शर्त- से भा. को पत्राचार-
के अन्तर्गत सविबद्ध उपस्थित।


सहस्र


31-5-17
(अना. भा. 2)

✓